



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-33/2023

दिनांक- 26 जनवरी- 2023

प्रेस विज्ञप्ति

74 वें गणतंत्र दिवस: शान से लहराया तिरंगा, गूंजे देशभक्ति के तराने, मा0 राज्यमंत्री डा. दयाशंकर मिश्र 'दयालु' जी ने ली परेड की सलामी

74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पुलिस लाइन, आजमगढ़ के प्रांगण में दिनांक-26.01.2023 को भव्य परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मा0 राज्यमंत्री डा. दयाशंकर मिश्र 'दयालु' जी द्वारा ध्वजारोहण कर परेड का मान-प्रणाम स्वीकार करते हुए कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़ श्री अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी आजमगढ़ श्री विशाल भारद्वाज व अन्य अधिकारी गण भी मौजूद रहें। अतिथि गण का स्वागत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री राहुल रूसिया व अन्य अधीनस्थ अधिकारी /कर्मचारीगण द्वारा किया गया।

तदोपरान्त मुख्य अतिथि व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा भव्य परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में सम्मिलित आठ टोलियों का नेतृत्व प्रथम परेड कमाण्डर शक्ति मोहन अवस्थी (स0पु0अ0), द्वितीय परेड कमाण्डर गौरव शर्मा (क्षेत्राधिकारी नगर), तृतीय परेड कमाण्डर एस0आई0ए0पी0 विजय कुमार सिंह द्वारा किया गया।

इन टोलियों में पु0का0, नागरिक पुलिस, सीईआर, एईआर, महिला पीएसी, होमगार्ड्स, सीटीएस के कर्मियों ने प्रतिभाग किया है। पुलिस विभाग के अन्य दस्ता जैसे मोटर साइकिल स्क्वाड, वायरलेस, फिल्ड यूनिट, डाग स्क्वाड, डायल 112 मोटर साइकिल, डायल 112 इनोवा, डायल 112 बोलेरो, इगल मोबाइल मो0 साइकिल एन्टी रोमियो, सर्विलांस, क्यूआरटी दस्ता/स्वाट टीम (वज्र), कैम्पो फ्लाइज वाहन (आधुनिक दस्ता) फायर सर्विस सहित अन्य दस्ता द्वारा प्रतिभाग किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा सभी पुलिस कर्मियों को शुभकामनायें दी गयीं।

इस अवसर पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड मे 05 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 1. नारी सशक्तिकरण सामुहिक डान्स (राहुल चिल्ड्रेन एकेडमी) 2. देशभक्ति गीत सामुहिक डान्स (राकीय बालिका इण्टर कालेज), 3. देश भक्ति गीत सामुहिक डान्स (सर्वोदय पब्लिक स्कूल) 4. देश भक्ति गीत- शिव सहारे व 5. म0का0 अनामिका शुक्ला के द्वारा प्रतिभाग लिया गया।

➡ मुख्य अतिथि द्वारा मुख्यालय स्तर से श्री शक्ति मोहन अवस्थी, सहायक पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़, को पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह रजत से सम्मानित किया गया।

➡ मुख्य अतिथि द्वारा मुख्यालय स्तर से (गृह मंत्रालय भारत सरकार का अति उत्कृष्ट/उत्कृष्ट सेवा पदक तथा सराहनीय सेवा पदक कुल 52 पदक) निरीक्षक शमशेर यादव (बरदह), निरीक्षक सूर्यवंश यादव (मेंहनाजपुर), उ0नि0 राकेश चन्द्र त्रिपाठी (सीओ सदर कार्या0) उ0नि0 जय प्रकाश पाण्डेय (फूलपुर), मु0आ0 बासुदेव यादव, मु0आ0सतीश कुमार सिंह, मु0आ0 हरवंश सिंह, मु0आ0 महेश प्रसाद, मु0आ0अनिल कुमार सिंह, मु0आ0 रामगोपाल सिंह, मु0आ0 श्रीमती निर्मला, मु0आ0 त्रिभुवन नारायण सिंह, मु0आ0 अरविन्द कुमार सिंह, मु0आ0 संतोष कुमार सिंह, मु0आ0 काशी नाथ यादव, मु0आ0 जयप्रकाश यादव, मु0आ0 अनिल कुमार सिंह, मु0आ0 ओम प्रकाश यादव, मु0आ0 रामलखन राम सोनकर, मु0आ0 वीरेन्द्र कुमार पाठक, मु0आ0 धनजी सिंह, मु0आ0 सुभाष प्रसाद, मु0आ0 राजेश यादव, मु0आ0 जय प्रकाश, मु0आ0 रामकेवल यादव, मु0आ0 जितेन्द्र कुमार अवस्थी, मु0आ0 रामभवन राम, मु0आ0 अच्छे कुमार यादव, मु0आ0 पप्पू राम, मु0आ0 मनोज कुमार यादव, मु0आ0 जितेन्द्र कुमार तिवारी, मु0आ0 रविन्द्र यादव, मु0आ0 भैयालाल यादव, मु0आ0 दिनेश कुमार मिश्र, मु0आ0 अशोक कुमार पाण्डेय, मु0आ0

राजेश कुमार पाठक, मु0आ0 शिव कुमार पाण्डेय, मु0आ0 राजेश कुमार पाण्डेय, मु0आ0 राकेश कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।

(उत्कृष्ट सेवा पदक)

➡ निरीक्षक मंजय सिंह, निरीक्षक शशिचन्द्र चौधरी, उ0नि0 कौशल पाठक, उ0नि0 विनय कुमार सिंह, मु0आ0 सुभाष चन्द्र यादव, मु0आ0 शिवमंगल यादव, मु0आ0 मो0 मुर्तजा अली, मु0आ0 नन्द जी यादव, मु0आ0 चन्द्रशेखर कुमार राम व मु0आ0 राम भरोसे पुलिस महानिदेशक उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।

➡ मु0आ0 जितेन्द्र कुमार पाण्डेय, को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया।

➡ मुख्यालय यूपी 112 लखनऊ, द्वारा जनपद आजमगढ़ में पीआरबी वाहन पर ड्यूटी करने वाले कर्मियों को सराहनीय कार्यों के लिए कुल 12 प्रशस्ति पत्र व सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है-

मु0आ0 पंकज कुमार सिंह, जय प्रकाश नारायण, मु0आ0 संतोष कुमार यादव, आरक्षी हरिशंकर सिंह, आरक्षी संजय कुमार, आरक्षी दीपू सिंह, हो0गा0 पंकज कुमार, हो0गा0 आशीष तिवारी, हो0गा0 वीरेन्द्र कुमार, हो0गा0 सत्य नारायण मिश्रा, कालर श्री सोनू प्रजापति (एक्सीडेंट की सूचना देने पर) है।

➡ इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी को भी मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया।

थाना कोतवाली जीयनपुर

अवैध तमंचा, कारतूस व चोरी गये सामान के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण -दिनांक 24/09/2021 को वादी मुकदमा सुजीता W/O मुसाफिर ग्राम बनकरी थाना मधुबन जनपद मऊ बतैनाती HWC नरुद्दीनपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ उपस्थित थाना कार्यालय आकर सूचना दिया गया कि अज्ञात चोरो द्वारा HWC नरुद्दीनपुर से 500 लीटर की पानी की टंकी चुरा ले गये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 -011/2023 धारा 380 भादवि बनाम -1. अज्ञात चोर आदि पंजीकृत है जिसकी विवेचना व.उ.नि. देवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा की जा रही है। विवेचना के क्रम में -

गिरफ्तारी का विवरण - आज दिनांक 26/01/2023 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त **मुस्तकीम उर्फ करिया उर्फ सुल्तान पुत्र अफफान उर्फ नन्हू निवासी अंजान शहीद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़** को अशरफपुर पुलिया भट्टे के पास से समय करीब 09.50 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से एक अदद तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 1300/रुपया वरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 - 50/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर, आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-- मु0अ0सं0- 50/2023 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास— **मुस्तकीम उर्फ करिया उर्फ सुल्तान पुत्र अफफान उर्फ नन्हू निवासी अंजान शहीद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़**

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	22/2023	352,504,506 भादवि	जीयनपुर	आजमगढ़
2	11/23	380,411 भादवि	जीयनपुर	आजमगढ़
3	50/2023	3/25 आर्म्स एक्ट	जीयनपुर	आजमगढ़
4	237/2012	3/25 आर्म्स एक्ट	जीयनपुर	आजमगढ़
5	417/2013	8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट	जीयनपुर	आजमगढ़

बरामदगी – एक अदद तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 1300/ रुपया बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त - मुस्तकीम उर्फ करिया उर्फ सुल्तान पुत्र अप्फान उर्फ नन्हू निवासी अंजान शहीद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. SHO यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह थाना कोतवाली जीयनपुर, आजमगढ़ ।
2. उ.नि. शंकर कुमार यादव मय हमराह थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़ ।

थाना सरायमीर

चोरी की घटनाओं में शामिल शातिर चोर गिरफ्तार व चोरी गये सामान बरामद ।

1.पूर्व की घटना/ इतिहास की विवरण संक्षेप में- वादी श्री अफजाल अहमद पुत्र सगीर अहमद ग्राम छित्तूपट्टी पो0 संजरपुर जिला आजमगढ़ के द्वारा प्रा0 पत्र दिनांक 25.01.2022 को दिया गया कि दिनांक 24.01.2023 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के दुकान का ताला तोड़कर इलेक्ट्रॉनिक मोटर किलोस्कर चुरा ले जाना व नरेन्द्र विश्वकर्मा S/O अमरनाथ विश्वकर्मा, का भी टुल्लू पम्प का मोटर चुरा ले जाना के सम्बन्ध में दाखिल किया जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 21/2023 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त मुकदमे की विवेचना में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त जिसे साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त धर्मेन्द्र गिरी पुत्र शिवशंकर गिरी निवासी पवई लाडपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ अपने सहयोगी/ साथी अजय कन्नौजिया पुत्र रामनाथ कन्नौजिया निवासी पुरवा शेरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के साथ मिलकर उक्त घटना कारित किया है। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोतरी किया गया।

2.गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 26.01.2023 को उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराहीयान द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र गिरी पुत्र शिवशंकर गिरी निवासी पवई लाडपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को समय करीब 13.05 बजे नन्दांव मोड कस्बा व थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया व उसका साथी अजय कन्नौजिया मौके से फरार हो गया। अभियुक्त धर्मेन्द्र गिरी उपरोक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

बरामदगी का विवरण:- एक अदद मोटर किलोस्कर व 40 रूपये जमातलाशी से बरामद हुआ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 21/2023 धारा 457/380/411 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. धर्मेन्द्र गिरी पुत्र शिवशंकर गिरी निवासी पवई लाडपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

थाना जहानागंज आजमगढ़

जिला बदर अपराधी गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 10.01.23 को अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन आजमगढ़ द्वारा 06 माह के लिये अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह उर्फ विधायक S/O शिवकुमार सिंह R/O महुआमुरारपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ को जिला बदर किये थे ।

गिरफ्तारी का विवरण: उ0नि0 योगेन्द्र कुमार मय हमराह को सूचना मिली की धर्मेन्द्र सिंह उर्फ विधायक S/O शिवकुमार सिंह R/O महुआमुरारपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ को जिलाधिकारी महोदय के आदेश दि0 10.1.023 को 6 माह के लिए जिला बदर हुआ था जो अपने गाँव में जितेन्द्र राम के घर पर मौजूद है । इस सूचना पर पुलिस एक बारगी दबिश घेर मार कर पकड़ लिया गया । पकड़े व्यक्ति ने अपना नाम धर्मेन्द्र सिंह उर्फ विधायक S/O शिवकुमार सिंह ग्राम महुआमुरारपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ बताया जो थाना जहानागंज के मु0अ0सं0 42/15 धारा 8/20 NDPS Act आदि मुकदमों में धारा उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 के अन्तर्गत 6 माह के अवधि मे अपने थाना क्षेत्र मे रह रहा है । इसका अपराध अन्तर्गत धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के

अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह उर्फ विधायक को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 11.00 बजे दिन में दिनांक 26.01.23 को पुलिस हिरासत में लिया। गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0स0 40/23 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम थाना जहानागंज आजमगढ़
आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 40/02 धारा 147/148/149/307/302/427 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
2. मु0अ0स0 113/09 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
3. मु0अ0स0 324/10 धारा 110 सीआरपीसी भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
4. मु0अ0स0 42/15 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़
5. एनसीआर न0 122/19 धारा 323/504/352 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
6. मु0अ0स0 690/12 धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम थाना जहानागंज आजमगढ़
7. नील/20 धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम थाना जहानागंज आजमगढ़
8. मु0अ0स0 299/21 धारा 323/504/506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह उर्फ विधायक S/O शिवकुमार सिंह R/O महुआमुरारपुर थाना जहानागंज आजमगढ़
गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

- 1- श्री विनय कुमार सिंह थानाध्यक्ष थाना जहानागंज आजमगढ़
- 2- उ0नि0 योगेन्द्र कुमार मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना- तरवां

शांतिर अपराधी अवैध गाँजा के साथ गिरफ्तार, आधा दर्जन मुकदमा दर्जी

1. गिरफ्तारी की विवरण- दिनांक-26.01.23 को मै उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त यासीन पुत्र मुमताज उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम फत्तेपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 07.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध गाँजा को तौला गया तो 01 किलो 440 ग्राम अवैध गाँजा पाया गया अन्य अग्रेतर कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 0014/2023 धारा -8/20 NDPS Act थाना तरवा आजमगढ़
आपराधिक इतिहास-

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	143/2017	3/5ए/8 गौ0ह0नि0अधि0,11 पशु कुरता, व 379,411 भादवि	मेहनगर	आजमगढ़
2	101/2010	3/5ए/8 गौ0ह0नि0अधि0,11 पशु कुरता	तरवां	आजमगढ़
3	417/2010	3/5ए/8 गौ0ह0नि0अधि0,11 पशु कुरता	तरवां	आजमगढ़
4	35/2021	3/5ए/8 गौ0ह0नि0अधि0,11 पशु कुरता	बेलीपार	गोरखपुर
5	0014/2023	8/20 NDPS Act	तरवां	आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त यासीन पुत्र मुमताज सा0 फत्तेपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

बरामदगी- 01 किलो 440 ग्राम अवैध गाँजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम - उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी मय हमराह थाना मेहनगर, आजमगढ़।

थाना दीदारगंज

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 26.01.2023 को प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान चरौवा पावर हाउस तिराहा के पास शाहबाज उर्फ बब्बल पुत्र स्व0 जुबैर ग्राम मानीकला थाना खेतासराय जनपद जौनपुर उम्र करीब 46 वर्ष को एक अदद कट्टा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय 05.30 बजे हिरासत पुलिस तथा बरामद कट्टा व कारतूस को कब्जा पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. शाहबाज उर्फ बब्बल पुत्र स्व0 जुबैर ग्राम मानीकला थाना खेतासराय जनपद जौनपुर उम्र करीब 46 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	278/15	3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट	खेतासराय	जौनपुर
2	281/15	3/5/8 गोवधनि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0	खेतासराय	जौनपुर
3	956/14	3/5ए/8 गोवधनि0अधि0	खेतासराय	जौनपुर
4	210/15	506 भादवि	खेतासराय	जौनपुर
5	9/23	3/25 आर्म्स एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ़

बरामदगी- एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 विजय प्रताप सिंह मय हमराह थाना दीदारगंज आजमगढ़
2. उ0नि0 अवधेश कुमार त्रिपाठी मय हमराह थाना दीदारगंज आजमगढ़

थाना सिधारी, आजमगढ़

हत्या के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना –दिनांक 25.01.23 को वादिनी मुकदमा श्रीमती ऊषा देवी पत्नी स्व0 जगमोहन राम सा0 नरौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर विपक्षी 1. सत्येन्द्र 2. प्रदीप 3. अश्वनी पुत्रगण बृजमोहन राम निवासीगण नरौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 4. अमरदीप उर्फ सुराली पुत्र प्रहलाद सा0 वभनौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा एक राय होकर वादिनी के पुत्र विनय कुमार को नरौली पुल के नीचे सरसो के खेत में ले जाकर पटक- पटक कर मारते पीटते हुए जान से मारने के नियत से धारदार चाकू से गला रेतना प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा शोर मचाने पर गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गये, के सम्बन्ध में दाखिल किये कि दाखिला तहरीर के आधार मु0अ0सं0 44/23 धारा 34,504,506,307,324 भादवि. बनाम 1. सत्येन्द्र आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 कमल नयन दूबे चौकी प्रभारी मुसेपुर द्वारा की जा रही थी जिसमें अभियुक्त वांछित चल रहे थे।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 26.1.23 को उ0नि0 कमनयन दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अश्वनी भारती पुत्र बृजमोहन सा0 नरौली थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष 2. सत्येन्द्र कुमार पुत्र बृजमोहन सा0 नरौली थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष को नरौली आटो स्टैण्ड के पास समय 11.25 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सत्येन्द्र कुमार पुत्र बृज मोहन निवासी नरौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष
2. अश्वनी भारती पुत्र बृज मोहन निवासी नरौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

पंजीकृत अभियोग -

1-मु0अ0सं0 44/23 धारा 34,504,506,307,324 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्र.नि. नन्द कुमार तिवारी थाना सिधारी आजमगढ़
2. उ0नि0 कमनयन दूबे चौकी प्रभारी मुसेपुर मय हमराह थाना सिधारी आजमगढ़

थाना सिधारी, आजमगढ़

दुकान की बिजली बिल की आरसी वापस करने के लिये 20 हजार रुपये की रिश्वत लेने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना - श्री महबूब आलम S/O स्व0 मकबूल आलम R/0 मो0 बाज बहादुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांकित 23.01.23 जो थाना प्रभारी एण्टी करप्सन आजमगढ़ को सम्बोधित जो कार्यालय भ्र0नि0सं0 आजमगढ़ पर उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया। इनके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि न्यू नाइस टेलरिंग की दुकान जो मेरे भाई चलाते है दुकान बन्द करके ग्राम दाउदपुर जीयनपुर चले गये। मैं अपने जीविकोपार्जन हेतु दुकान मालिक से मिलकर किराये पर लेकर न्यू नाइस टेलरिंग की दुकान चलाने लगा। एक दिन अमीन प्रेमप्रकाश मिश्रा ने जरिये दूरभाष अवगत कराया कि दुकान की बिजली बिल रू0 222000/- बकाया है जिसकी आर.सी. कटी है तत्काल पैसा जमा कर दे। इसके पहले मुझे बिजली बिल बकाया होने की बात की जानकारी नहीं थी जानकारी होने पर मैं बिजली विभाग में सम्पर्क किया तथा पूरी बात बताया तो वहा मुझे बताया गया कि आर.सी. वापस करा दीजिये। उपभोक्ता पैसा जमा करने को तैयार है। इसके बाद अमीन प्रेमप्रकाश मिश्र से मिला और आर सी वापस करने हेतु निवेदन किया तो अमीन साहब ने कहा कि आरसी वापस करने के लिये रू0 22000/- मुझे व 7000/- अतिरिक्त खर्च की मांग की गयी। मेरे द्वारा काफी अनुनय विनय करने पर अमीन प्रेमप्रकाश मिश्र ने बीस हजार रूपये में आर0सी0 वापस करने हेतु तैयार हो गये साहब मैं मजबूर होकर अमीन प्रेम कुमार मिश्रा को बीस हजार रूपये देने की हामी भर लिया साहब मैं अमीन प्रेम कुमार मिश्र को बीस हजार रूपये देना नहीं चाहता हूं। बल्कि बीस हजार रूपये लेते हुये अमीन को पकड़वाना चाहता है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 25.01.2023 को समय 08.00 बजे टीम प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार यादव व टीम के निरीक्षक श्री अशोक कुमार सिंह निरी0 श्री उपेन्द्र सिंह यादव व कार्यालय भ्र0नि0सं0 वाराणसी प्रस्थान किया गया तथा आरक्षी अमित सिंह भ्र0नि0सं0 आजमगढ़ ईकाई को बताया गया कि पहलवान मूर्ति चौराहा आजमगढ़ पर मिले। रास्ते में आरक्षी अमित सिंह को साथ लेकर जिलाधिकारी आजमगढ़ के आवास पर समय 10.00 बजे पहुंचा गया निर्देशानुसार शिकायतकर्ता महबूब आलम वही मिले जिनसे बात चीत की गयी तत्पश्चात जिलाधिकारी आजमगढ़ महोदय से मिलकर भ्र0नि0सं0 आजमगढ़ ईकाई द्वारा तैयार पत्र के माध्यम दो लोक सेवक साक्षीगण को नामित कर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध पत्र दिया गया जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने 1. श्रीराम बचन स्टेनो AD Basic 2. श्री सुशील श्रीवास्तव ad/d लिपिक कलेक्ट्रेट को नामित कर उपलब्ध कराये तत्पश्चात कैम्प कार्यालय से दोनो लोक सेवक साक्षीगण को बाहर लाकर शिकायत कर्ता व ट्रैप टीम के समक्ष नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम श्री रामबचन यादव s/o स्व0 भगवान यादव r/o चक सैदुल्ला थाना रानी की सराय आजमगढ़ सम्प्रति वैयक्तिक सहायक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पकवा ईनार बलिया सम्बन्ध सहायक शिक्षा निदेशक (बेशिक) मण्डल आजमगढ़ मो0नं0 9453360812 व दूसरे ने अपना नाम श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव s/o जगरनाथ लाल श्रीवास्तव r/o ग्राम रानीपुर रजमो थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ सम्प्रति प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट तहसील फूलपुर आजमगढ़ मो0नं0 9450030448 बताया। कैम्प कार्यालय से समय 10.30 बजे प्रस्थान कर मैं टीम प्रभारी मय टीम के सदस्यों शिकायतकर्ता व लोक सेवक साक्षीगण के साथ सरकारी वाहन व अन्य साधन से समय 10.45 बजे पुलिस लाइन स्थित थाना एण्टी करप्सन आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ पर पहुंच

गये। वादी ने अपने हाथों से अभियुक्तको पैसा दे दिया। वह व्यक्ति नोटों को अपने हाथों में लेकर गिने लगा था रिश्त के लेन देन का पूर्ण विश्वास होने पर निरीक्षक द्वारा उस व्यक्ति का हाथ जिसमें नोटों के साथ समय 12.25 बजे पकड़ कर लोक सेवक साक्षीगण व ट्रेप टीम के समक्ष बरामद कर लिया गया। बरामद नोटों को देखा गया तो वही दो दो हजार रूपये के 02 नोट तथा पांच पांच सौ रूपये के 32 नोट जो फर्द ट्रीट ट्रेप के नोटों से हुबहू पाये गये जिस पर फिनाफथलीन पाउडर लगाकर शिकायतकर्ता को रिश्त में देने के लिए दिया गया था और जिसके नम्बर ट्रीट ट्रेप फर्द में अंकित किये गये है। अन्य अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

प्रेम कुमार मिश्र पुत्र देवी प्रसाद मिश्र निवासी पुष्प नगर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ सम्प्रति क्षेत्रिय अमीन सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 54 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 46/23 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधि0 थाना सिधारी आजमगढ़ ।

बरामदगी

बीस हजार रुपये भारतीय करेंसी (दो हजार की 2 नोट, तथा पाँच सौ के 32 नोट कुल बीस हजार रुपये)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव प्रभारी टीम भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी
2. निरी0 उपेन्द्र सिंह यादव भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी
3. निरी0 अशोक कुमार सिंह भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी
4. हे0का0 पुनीत भ्रष्टाचार निवारण संगठन ईकाई आजमगढ़
5. हे0का0 विशाल भ्रष्टाचार निवारण संगठन ईकाई आजमगढ़
6. का0 सुधीर भ्रष्टाचार निवारण संगठन ईकाई आजमगढ़
7. का0 अमित कुमार भ्रष्टाचार निवारण संगठन ईकाई आजमगढ़
8. हे0का0चा0 अश्वनी पाण्डेय भ्रष्टाचार निवारण संगठन ईकाई आजमगढ़